समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी R/1449-I-17

बद्रीप्रसाद पिता स्व0 श्री गोरे लाल गौतम निवासी –ग्रम सथनिया तहसील गुनौर जिला पन्ना म.प्र. ।

.............आवेदक

विरूद्ध

बुधिया पति श्री मुन्नीलाल चमार निवासी ग्रम सथनिया तहसील गुनौर हाल निवासी बम्होर तहसील गुनौर जिला पन्ना म.प्र. ।

...........अनावेदक

श्री सुनील सिंह पाण्डेय द्वारा आज दि. 24/5/17 को प्रस्तुत
24/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध नायव तहसीलदार गुनौर जिला पन्ना म.प्र. के प्रकरण क 0005/अ–6/2016–17 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18.5.2017 के विरूद्ध।

सुनील सिंह पाण्डेय 24/5/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि –आवेदक वद्रीप्रसाद पिता गोरेलाल गौतम निवासी ग्रम सथनिया तहसील गुनौर की ओर से ग्रम सथनिया क़ी पुराना आराजी नं0 1401 रकवा 0.922 हे. से निर्मित नवीन नम्बर 1665,1666 के रकवा सुधार हेतु म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक के पिता की कय सुदा आराजी खसरा नं 1401 रकबा 0.922 हे. भूमि ग्रम सादनिया प.ह.नं 28 रा.नि.म. सलेहा तहसील गुनौर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1449-एक/17 **जिला** - पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुनौर के समक्ष धारा-89 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 89 के तहत रकवा सुधार की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को न होकर अनुविभागीय अधिकारी को हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	